


## कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

### आवश्यक सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित कुश्मी एन्क्लेव आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 2BHK, 3BHK व 3BHK+SERVANT ROOM श्रेणी के फ्लैटों को ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु दिनांक 20.01.2026 से दिनांक 20.02.2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था, जन सामान्य की मांग पर ऑनलाइन पंजीकरण की अवधि दिनांक 25.03.2026 तक बढ़ायी जा रही है। उपलब्ध सम्पत्ति का विवरण, प्राधिकरण नियम शर्त व अन्य विवरण प्राधिकरण के वेबसाइट [www.gdagkp.in](http://www.gdagkp.in) पर उपलब्ध है, जिस पर इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।



(पुष्पराज सिंह)  
पी०सी०एस०  
सचिव।

(आनन्द वर्द्धन)  
आई०ए०एस०  
उपाध्यक्ष।

**गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।**

**गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित "कृश्मी एन्वलेव" आवासीय योजना**

**के अन्तर्गत 2 B.H.K., 3 B.H.K. एवं 3 B.H.K. + SERVANT ROOM फ्लैटों का ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।**

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक- ~~20-01-2026~~ **20-01-2026**

पंजीकरण समाप्ति दिनांक- ~~20-09-2026~~ **20-09-2026**

आवासीय फ्लैटों का विवरण:-

क्र० सं०	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	कवर्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण धनराशि (रुपये में)			अवशेष धनराशि (रुपये में)	अवशेष धनराशि 2.5 वर्ष की 10 समान त्रैमासिक किश्तों में। (ब्याज सहित)	
						सामान्य 10 प्रतिशत	आरक्षित 5 प्रतिशत	सामान्य			
01	<b>2 B.H.K.</b>	63	62.54	80.00	54,10,000.00	5,41,000.00	2,70,500.00	13,52,500.00	16,23,000.00	35,16,500.00	3,51,650.00
02	<b>3 B.H.K.</b>	129	99.48	128.25	88,65,000.00	8,86,500.00	4,43,250.00	22,16,250.00	26,59,500.00	57,62,250.00	5,76,225.00
03	<b>3 B.H.K. + SERVANT ROOM</b>	61	118.87	145.22	1,00,40,000.00	10,04,000.00	5,02,000.00	25,10,000.00	30,12,000.00	65,26,000.00	6,52,600.00

पंजीकरण हेतु क्या करें:-

- 1- पंजीकरण विवरण पुस्तिका रु०-500.00 (जी०एस०टी० सहित) किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेबसाइट [www.gudagup.in](http://www.gudagup.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 2- निर्धारित पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।
- 3- विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क करें:- फोन नं० 0551-2230132.

टोल फ्री नं०-18001202246

सचिव

उपाध्यक्ष